

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2015/कार्तिक 12, 193 7
No. 680]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2015/KARTIKA 12, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 832(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित प्रादेशिक निदेशकों को नीचे सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (2) में यथाइंगित संबंधित अधिकारिता के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा उन्हें प्रदत्त कार्यों या उक्त अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित कार्यों के निवर्हन के लिए अधिस्चित करती है:-

कार्यालय और अवस्थान	अधिकारिता
(1)	(2)
(1) प्रादेशिक निदेशक,	हरियाणा, पंजाब, जम्मु-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर
उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नई दिल्ली	प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
	तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(2) प्रादेशिक निदेशक,	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य और
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, अहमदाबाद	दादरा तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
(3) प्रादेशिक निदेशक,	महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दमण तथा दीव संघ राज्य
पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, मुम्बई	क्षेत्र
(4) प्रादेशिक निदेशक,	तमिलनाडु, केरल राज्य तथा पुडुचेरि संघ राज्य क्षेत्र,
दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, चेन्नई	अंदमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप
	संघ राज्य क्षेत्र

4685 GI/2015 (1)

(5) प्रादेशिक निदेशक,	पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओड़ीशा राज्य
पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकाता	
(6) प्रादेशिक निदेशक,	मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम,
पूर्वोत्तर क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, शिलांग	मणिपुर और त्रिपुरा राज्य
(7) प्रादेशिक निदेशक,	कर्णाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्य
दक्षिण पूर्व क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, हैदराबाद	

- 2. सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उन्हें प्रदत्त कार्य या उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंधों, जो अभी प्रवृत्त हैं, के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित जारी करते रहेंगे।
- 3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/16/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2015

G. S. R. 832(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby notifies following Regional Directors in the Ministry of Corporate Affairs mentioned in column (1) of the Table below to discharge the functions conferred upon them by the Companies Act, 2013 or delegated to them by the Central Government under that Act for the respective jurisdiction as indicated in the corresponding column (2) of the Table below:-

Office and location	Jurisdiction
(1)	(2)
(1) Regional Director, North Region Directorate, Headquarter at New Delhi.	States of Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttrakhand and Union Territory of Chandigarh and National Capital Territory of Delhi.
(2) Regional Director, North Western Region Directorate, Headquarter at Ahmedabad.	States of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chattisgarh and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
(3) Regional Director, Western Region Directorate, Headquarter at Mumbai.	States of Maharashtra, Goa and Union Territory of Daman and Diu.
(4) Regional Director, Southern Region Directorate, Headquarter at Chennai.	States of Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshadweep.
(5) Regional Director, Eastern Region Directorate, Headquarter at Kolkata.	States of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Orissa.
(6) Regional Director, North Eastern Region Directorate, Headquarter at Shillong.	States of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura.
(7) Regional Director, South East Region Directorate, Headquarter at Hyderabad.	States of Karnataka and Andhra Pradesh.

2. The Regional Directors specified in column (1) of the Table shall continue to exercise the functions conferred upon them under the Companies Act, 1956 or delegated under that Act in respect of provisions of that Act, which are still in force.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.1/16/2013 -CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.